अन्तिम डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जब्ता दावानो)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बीदासर व इजलास श्री श्योराम वर्मा, आर.ए.एस.

रामप्रताप बनाम बेगाराम आदि

दावा घोषणात्मक, संशोधन एवं विभाजन बाबत।

मुकदमा न. 22 / 2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु....................हाजरी श्री मनोज गोदारा वकील वास्ते वादी मिनजानिब मुद्दई व दीनदयाल एडवोकेट प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 मिनजानिब मुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिक्री दी जाती है कि वादगत भूमि वाके रोही ग्राम कातर बडी के खसरा संख्या 853 / 188 तादादी 13.5570 हेक्टेयर भूमि में से पूर्वी साईड की 6.7785 हेक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 3 रतनाराम पुत्र बेगाराम जाति जाट निवासी गेवरसर के व पश्चिमी साईड की 6.7785 हेक्टेयर भूमि वादी रामप्रताप पुत्र बेगाराम जाति जाट निवासी गेवरसर के नाम पृथक–पृथक राजस्व रेकार्ड में अंकित की जाकर लगान का विभाजन किया जावे तथा खसरा संख्या 950 / 20 तादादी 10.6989 हेक्टेयर भूमि में से पूर्वी साईड की 3.9204 हेक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 बेगाराम पुत्र खुमाराम जाति जाट निवासी गेवरसर के व पश्चिमी साईड की 6.7785 हेक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 2 रामनिवास पुत्र बेगाराम जाति जाट निवासी गेवरसर के नाम पृथक–पृथक राजस्व रेकार्ड में अंकित की जाकर लगान का विभाजन किया जावे। वादगत भूमि सम्पूर्ण सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा सुजानगढ के पक्ष में यथावत रहन रखी जावे। उपरोक्तानुसार पृथक–पृथक खातेदारी दर्ज करने व लगान कायम करने का आदेश तहसीलदार बीदासर को दिया जाता है। खर्चा मुकदमा पक्षकारान् स्वंय वहन करें। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी हो। अंतिम डिक्री की पालना बाबत तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे।

चीज .... मुबलिग .... बाबत ....खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह ....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलमाबी तक .... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13.06.2019

दस्तखत

उपखण्ड अधिकारी

ओहदा बीदासर...............

मुहर

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये ।

उपखण्ड अधिकारी

बीदासर